न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–171/2026

CNR No.UPRP010010452026

(पंजीयन सं० 313/2026)

हरस्वरूप पुत्र मिढ़ईलाल उर्फ बडईलाल, निवासी ग्राम हसमत गंज, थाना अजीमनगर, जिला रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

धारा–76, 115(2), 126(2), 351(2) बी०एन०एस०
थाना–अजीमनगर, रामपुर।
अ०सं० 140/2025

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी हरस्वरूप की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता बडईलाल उर्फ मिठईलाल ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त/प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद में न तो योजित किया है और न ही लम्बित है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त/प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में झूठा एवं गलत फंसाया गया है। अभियोजन कहानी पूरी तरह से झूठी एवं मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है। अभियुक्त/प्रार्थी ने वादी मुकदमा की पत्नी के साथ कोई मारपीट व हमला नहीं किया है और न ही गाली–गलौज की है और न ही कपड़े फाड़े है। अभियुक्त/प्रार्थी का वादी मुकदमा सगा भाई है।अभियुक्त /प्रार्थी का वादी मुकदमा के परिवार से हिस्से बंटवारे को लेकर विवाद था, जिस पर वादी मुकदमा ने अभियुक्त/प्रार्थी पर दवाब बनाने हेतु झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। कथित पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन० एस०एस०में विरोधाभास है।अभियुक्त/प्रार्थी का उपरोक्त मुकदमे में कोई विशिष्ट रोल नहीं दिखाया गया है। मुकदमा उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी का कथित एवं फर्जी घटना से कोई वास्ता व सम्बन्ध नहीं है।अभियोजन पक्ष के साक्षी स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय नहीं है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है।अभियुक्त/प्रार्थी दिनांक 15–02–2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध है।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है।उसे

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.03.16 17:11:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रंजिशन फंसाया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त /प्रार्थी ने अभियोजित अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त/प्रार्थी ने वादी मुकदमा की पत्नी के साथ कोई मारपीट व हमला नहीं किया है और न ही गाली–गलौज की है और न ही कपड़े फाड़े है। अभियुक्त/प्रार्थी का वादी मुकदमा सगा भाई है। अभियुक्त/ प्रार्थी का वादी मुकदमा के परिवार से हिस्से बंटवारे को लेकर विवाद था, जिस पर वादी मुकदमा ने अभियुक्त/प्रार्थी पर दवाब बनाने हेतु झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। कथित पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी० एन०एस०एस० में विरोधाभास है। अभियुक्त/प्रार्थी का उपरोक्त मुकदमे में कोई विशिष्ट रोल नहीं दिखाया गया है। मुकदमा उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त प्रार्थी का कथित एवं फर्जी घटना से कोई वास्ता व सम्बन्ध नहीं है। अभियोजन पक्ष के साक्षी स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय नहीं है। कथित पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है। अभियुक्त /प्रार्थी दिनांक 15–02–2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया है और यह तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन०एस०एस० में घटना का समर्थन नहीं किया है।

उभयपक्षों के तर्को को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा नन्दकिशोर की ओर से दिनांक 15–07–2025 को इस आशय से पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रारम्भ हुआ कि वादी मुकदमा ग्राम हशमत गंज महारा सींगनखेड़ा, थाना अजीमनगर जिला रामपुर का निवासी है। दिनांक 15–07–2025 को शाम के करीब सात बजे वादी मुकदमा अपनी पत्नी जमुना की दवाई दिलाकर मोटरसाइकिल से घर को जा रहा था, तभी गांव के बाहर रोड पर उसका भाई हरस्वरूप व उसके साथ सहनाज नाम लड़का मोटरसाइकिल से आये और चलती मोटरसाइकिल को रास्ते में रोककर वादी मुकदमा की पत्नी जमुना के जोरदार घूसा मार दिया, घूसा लगने की वजह से जमुना मोटरसाइकिल से गिर गई। जमुना के चोट आयी और उसकी पत्नी के कपड़े फाड़ दिये। जब वादी मुकदमा ने विरोध किया, तो हरस्वरूप व सहनाज वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन०एस०एस०में अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से स्त्रीजन्य हमला करने के तथ्य पर कोई साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित नहीं है। अभियुक्त / प्रार्थी की ओर से कथित पीड़िता को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला किये जाने के तथ्य का कोई साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी

व कथित पीड़िता के मध्य ऋण की धनराशि का विवाद हो जाने के तथ्य का साक्ष्य भी दौरान विवेचना संकलित है। अभियुक्त/प्रार्थी की पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियोजित अपराध में दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त/प्रार्थी को रू.50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू–पत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किए जाने पर, जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 16–03–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545